न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द जिला–भीलवाडा

बजरिये श्री बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस.

लोक अदालत"न्याय आपके द्वार केम्प–आसीन्द

प्रकरण संख्या 491/2014

अनवान

1–भाली उर्फ बाली पुत्री लादू भील हाल पत्नि नन्दा भील निवासी आमली खेडा की झोपडिया(आसीन्द) तहसील आसीन्द जिला–भीलवाडा।

–वादीया

बनाम

1–शान्ति पत्नि लाडूराम भील निवासी भीलो की झोपडिया आसीन्द तहसील आसीन्द।
2–गागा पिता बालू भील निवासी आमली खेडा की झोपडिया(आसीन्द) तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा।
3–राजस्थान सरकार. जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द।

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम एंव 136राज.भू राजस्व अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक–14.07.2017

उपस्थितिः–श्री दौलतराज नागोडा–अधिवक्ता–वादिया
उपस्थितः– पेरोकार सरकार

वादीया द्वारा वाद–पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम आसीन्द पटवार हल्का आसीन्द में आराजी नम्बंर 834 रकबा 1.30 है0 मे वादिया के साथ मांगी बेवा बालू व गागा पिता बालू का 1/2 हिस्सा निहित होकर जमाबन्दी सम्वतः 2068 से 2071 राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर वादिया अपनी विरासत के समय से कब्जे काश्त चली आ रही है। वादिया का विरासत का इन्तकाल संख्या 2154 दिनांक 07.05.1991 में खोला गया जिसमें वादिया के दादा बालू के जाईन्दा पुत्र लादू, गागा व दर्शाये गये जब की गागा बालू का पुत्र नही होकर गागा घीसा का जाईन्दा पुत्र है ओर वादिया लादू की पुत्री है जो स्पष्ट होता है जिसकी ताईद में नगरपालिका अध्यक्ष व सदस्य द्वारा प्रमाणित सजरा प्रस्तुत किया गया। वादिया के विरासत के इन्तकाल में तो वादिया को लादू की पुत्री दर्शित कियि लेकिन दोराने सेटलमेन्ट में भू प्रबन्धक विभाग द्वारा वादिया के पिता लादू के स्थान पर दादा बालू दर्ज कर दिया जो वादिया इन्द्राज दुरस्ती के जरिये राजस्व रेकार्ड में पिता का नाम लादू दर्ज कराने की अधिकारी है। हाल राजस्व रेकार्ड में वादिया को बालू की पुत्री ना.बा. दर्शाते हुये संरक्षक मांगी बेवा बालू को बना रखा है जब की वायि बालिग है। ओर वादिया की दादी मांगी बेवा बालू की मत्यु हो चुकी है। ओर राजस्व रेकार्ड में गागा पिता बालू दर्ज कर रखा है जब की गागा पिता बालू कोई व्यक्ति नही है। बालू के गागा नाम का पुत्र उत्पन्न नही हुआ केवल घीसा का पुत्र गागा है जिन्होने अपने 1/2 हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 के नाम बैचान कर दिया गया है। जिन्हे वादपत्र में संयुक्त खातेदार होने से पक्षकार कायम किया गया। वादिया के दादा बालू पिता मोती भील के दो जाईन्दा पुत्र लादू व जगू ही उत्पन्न हुये है जिसमें से जगू लाओलाद फौत हो जाने से उसका हिससा भी लादू के रह गया ओर लादू की जाईन्दा पुत्री एक मात्र वादिया ही है जो उपरोक्त आराजी 1150 में वादिया का 1/2 हिस्सा बनता वादिया के पिता का नाम लादू होने का रिकार्ड इन्तकाल नम्बंर 2154 व जमाबन्दी सम्वतः 2033 से 2036

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
आसीन्द (भीलवाडा)
लोक अदालत-2017

P-No-2

Scanned by CamScanner

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द बईजलास बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस.

लोक अदालत "न्याय आपके द्वार केम्प–आसीन्द

प्रकरण संख्या 491/2014

अनवान

1–भाली उर्फ बाली पुत्री लादू भील हाल पत्नि नन्दा भील निवासी आमली खेडा की झोपडिया(आसीन्द) तहसील आसीन्द जिला–भीलवाडा।

–वादीया

बनाम

1–शान्ति पत्नि लाडूराम भील निवासी भीलो की झोपडिया आसीन्द तहसील आसीन्द।

2–गागां पिता बालू भील निवासी आमली खेडा की झोपडिया(आसीन्द) तहसील आसीन्द जिला–भीलवाडा।

3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एंव 136 राज. भू राजस्व अधिनियम के लिए दावा वादीया की और से एडवोकेट श्री दौलतराज नागोडा एंव प्रतिवादीण की और से एड.–की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 14.07.2017 को लोक अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है, और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादीया लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम आसीन्द पटवार हल्का आसीन्द तहसील आसीन्द की जमाबन्दी सम्वतः 2068 से 2071 की आराजी नम्बंर 834 में दर्ज खातेदार बाली पुत्री बालू, ना.बा. स.मु. मांगी बेवा बालू, गांगा पिता बालू 1/2 भील का नाम हटाया जाकर उनके बजाय भाली उर्फ बाली पिता लादू हाल पत्नि नन्दा भील निवासी आमली खेडा की झुपडिया (आसीन्द) 1/2 का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, बाकि खाता बदस्तुर रहैगा। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमद दरामद किया जावे।

इसके वाद के खर्चे लेखे-xxx-रूपये की राशि आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर-xxx-प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित-xxx-द्वारा-xxx-को दी जावे।

यह डिक्री पर्चा आज दिनांक 14.07.2017 को मेरें हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
आसीन्द (भीलवाडा)
लोक अदालत-2017

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद–पत्र के लिए स्टाम्प	02	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	–	–
2.शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	12	–	प्लीडर की फीस	–	–
4.रूपयें पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	17	–	योग	–	–

Scanned by CamScanner

के खाता संख्या 465 में दर्शीत इन्तकाल के नोट व जमाबन्दी सम्वत: 2050 से 2053 के अन्य खाता संख्या 659 से स्पष्ट होता है। कि वादिया के पिता बालू नही होकर लादू ही है जिसे वादिया राजस्व रेकार्ड में इद्रान्ज दुरस्ती के जरिये भाली उर्फ बाली पिता लादू नाम दर्ज कराने व मांगी बेवा बालू व गागा पिता का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाकर वादिया के नाम घोषणा कराने की अधिकारी है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन्न तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 स्वंय उपस्थित होकर अपना इकबालिया जवाब पेश कर वाद पत्र में अंकित कथनो को स्वीकार करते हुए कथन किया कि वादिया की विरासत की आराजी में वादिया के पिता का नाम बालू के बजाय लादू करते हुए मांगी बेवा बालु ओर गागां पिता बालू का नाम हटाकर वादिया भाली उर्फ बाली पिता लादू किया जावे तो मुझ जवाबदार को कोई आपत्ति एवं एतराज नही है। तथा प्रतिवादी संख्या 02 जो बावजूद सूचना एंव जरिये अखबार साया कराने व तलब करने पर भी गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादी संख्या 03 पेरोकार सरकार तहसीलदार आसीन्द ने उपस्थित होकर वादपत्र में अंकित कथनो को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए कथन किया की वादीया के वादपत्र अनुसार गांगा पिता बालू के नाम का कोई व्यक्ति हाल में मोजूद नही होकर गलत दर्शाया गया है। किन्तु रेकार्ड साबिक एंव हाल अनुसार उक्त व्यक्ति का नाम दर्ज रेकार्ड है, इसमें उक्त त्रुटि सुधार हेतु वादिया एवं सहखातेदार के गवाह बयानातप र ही संभव हो सकता है। तथा हाल खातेदार भाली उर्फ बाली पुत्री लादू भील हाल पत्नि नन्दा के पिता का नाम बालू के बजाय लादू रेकार्ड से सिद्व होने से दुरस्ती योग्य पाया जाता है। उक्त वादपत्र में राजहित प्रभावित नही होना सिद्व पाया जाता है। वाद पत्र में विवाघ्यक निम्नानुसार कायम कि गयी–

तनकी नम्बंर–1–आया वादीया ग्राम आसीन्द के आराजी नम्बंर 834 रकबा 1.30 है0 मे वादिया के साथ मांगी बेवा बालू व गांगा पिता बालू का 1/2 हिस्सा निहित होकर वादिया विरासत के समय से कब्जे काश्त कर रही है?–वादीया

तनकी नम्बंर–2–आया वादीया विरासत का इन्तकाल संख्या 2154 दिनांक 07.05.1991 खोला जिसमें वादिया के दादा बालू जाईन्दा पुत्र लादू गांगा व जगू दर्शाया किन्तु गांगा बालू का पुत्र नही होकर घीसा जाईन्दा पुत्र है?–वादीया

तनकी नम्बंर–3–आया वादीया का विरासत के इन्तकाल में वादिया को लादू की पुत्री दर्शात किया लेकिन दोराने सेटलमेन्ट में वादिया पिता लादू के स्थान पर बालू दर्ज कर दिया जिसे इन्द्राज दुरस्ती से लादू कराने की वादिया अधिकारीणी है?–वादीया

तनकी नम्बंर–4–आया वादीया को हाल राजस्व रेकार्ड में बालू की पुत्री ना.बा. दर्शाते हुए संरक्षक मांगी बेवा बालू को बनाया जो वादिया बालिग है जब की गांगा पिता बालू कोई व्यक्ति नही है वादिया का 1/2 हिस्सा विरासत से बनता है?–वादीया

तनकी नम्बंर–5–आया वादीया का राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्ती के जरिये भाली उर्फ बाली पिता लादू दर्ज कराने व मांगी बेवा बालू व गांगा पिता बालू का नाम हटाकर वादिया के नाम घोषणा कराने की अधिकारी है?वादीया

तनकी नम्बंर–6–आया प्रतिवादी वादप त्र में वर्णित आराजी से राजहित प्रभावित नही होना सिद्व होता है है?प्रतिवादी–3

तनकी नम्बंर–7–अनुतोष?

वादिया द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाह PW–01 भाली उर्फ बाली पत्नि नन्दा भील निवासी आमलीखेडा की झुपडिया एंव PW–02 नन्दा पिता हजारी भील निवासी आमली खेडा की झुपडिया व PW–03 हरदेव पिता सुजा गुर्जर निवासी भैरूखेडा तहसील आसीन्द एंव PW–04 शंभुलाल पिता बालुराम भील निवासी भीलो की झुपडिया आसीन्द के बयान करवाये व वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात

PTO 3

Scanned by CamScanner

पृदर्श–1 जमाबन्दी सम्वतः 2068 से 2071 , पृदर्श–2 जमाबन्दी सम्वतः 2064 से 2067 पृदर्श–3 जमाबन्दी सम्वतः 2050 से 2053 पृदर्श–4 मिलान क्षैत्रफल, पृदर्श–5 जमाबन्दी सम्वतः 2033 से 2036, पृदर्श–6 जमाबन्दी सम्वतः 2030 से 2033 पृदर्श–7 जमाबन्दी सम्वतः 2026 से 2029 पृदर्श–8 नामान्तरकरण संख्या 2154, पृदर्श–9 नामान्तरकरण संख्या 442, पृदर्श–10 नगरपालिका आसीन्द द्वारा जारी सजरा प्रमाणित पेश कर पृदर्शित करवाये गये। बहस उभयपक्ष सूनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है–

तनकी नम्बंर–01–इस तनकी को सिद्व करने के लिये वादीया द्वारा प्रस्तुत पृदर्श–02, जमाबन्दी सम्वतः 2064 से 2067 के अनुसार आराजी नम्बंर 834 रकबा 1.30 है0 में वादिया का नाम बाली पुत्री बालू ना.बा. स. मु. मांगी बेवा बालू, गागा पिता बालू का हिस्सा निहित होना दर्ज रेकार्ड आया। तथा उक्त आराजी पर वादिया कब्जा होना स्वीकार किया है, बयान गवाह पी.ड.–2 नन्दा पिता हजारी भील निवासी आमली खेडा की झुपडिया आसीन्द के बयानो के आधार पर सिद्व पायी जाने से इस तनकी का निर्णय वादीया के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नम्बंर–02–तनकी नम्बंर 02 के समर्थन में वादीया द्वारा पेश नामान्तरकरण संख्या 2154 पृदर्श–08 है जिसमें वादिया के पिता की विरासत से आराजी बाली पुत्री लादू, गागा पिता बालू के नाम पर खोला जाकर अमल दरामद जमाबन्दी सम्वतः 2033 से 2036 में किया गया जो पृदर्श–5 है। अतः इस तनकी का निर्णय भी वादीया के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नम्बंर–03–वादीया द्वारा समर्थन में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वतः 2050 से 2053 जो पृदर्श–3 है जिसमें वादिया के पिता का नाम लादू के बजाय बालू ना.बा.संरक्षक मु. मांगी बेवा बालू, गागा पिता बालू भील दर्ज रेकार्ड आया बयान गवाह पी.ड.–01 भाली उर्फ बाली पिता लादू पत्नि नन्दा भील के अवलोकन से यह सिद्व होता है। अतः इस तनकी का निर्णय भी वादीया के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नम्बंर–04–वादीया द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य 3, 4 एंव दस्तावेजात के अनुसार पृदर्श–01, 04, 06, 07, 09, 10 जमाबन्दी सम्वतः 2068 से 2071 एंव मिलान क्षैत्रफल, जमाबन्दी सम्वतः 2030 से 2033, जमाबन्दी सम्वतः 2026 से 2029, नामान्तरकरण संख्या 442, नगरपालिका आसीन्द द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र में के अवलोकन एंव साक्ष्य के आधार पर वादिया के पिता का नाम लादू दर्ज था जो सेटलमेन्ट में बालू दर्ज हो गया तथा वादिया बालिग होते हुए भी वादिया को ना.बा. दर्शाया जाकर संरक्षक मांगी को बनाया जब की मांगी की मत्यु हो चुकी है। तथा वादिया की आराजी में गागा नाम का कोई व्यक्ति नही होते हुए भी खाते में दर्ज हुआ जो गलत अंकन अखबार से साय करने पर भी उपस्थित नही होने से प्रकट हुआ है। तथा पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रकरण में राजहित प्रभावित नही होने बाबत अपना जवाब पेश कर वादिया का नाम एंव पिता का नाम एंव अन्य के नाम को हटाने व सही करने का कथन किया गया। तथा रेकार्ड एंव साक्ष्य गवाह एंव पृदर्श अनुसार वादिया को उपरोक्त विवादित आराजी में 1/2 हक हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारी पायी जाती है। उपरोक्त अवशेष तनकीयात भी वादीया के पक्ष में सिद्व पायी जाने से उनका निर्णय भी वादीया के पक्ष में किया जाता है।

प्रस्तुत दस्तावजो/साक्ष्यो के अवलोकन व उभयपक्ष की बहस पर मनन करने व उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी नम्बंर 01 से 07 अनुतोष वादीया के पक्ष में सिद्व होने से लिहाजा वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

:: आदेश ::

दावा वादीया लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम आसीन्द पटवार हल्का आसीन्द तहसील आसीन्द की जमाबन्दी सम्वतः 2068 से 2071 की आराजी नम्बंर 834 में दर्ज खातेदार बाली पुत्री बालू, ना.बा.स.मु. मांगी बेवा बालू, गांगा पिता बालू 1/2 भील का नाम हटाया जाकर उनके बजाय भाली उर्फ बाली पिता लादू हाल पत्नि नन्दा भील निवासी आमली खेडा की झुपडिया (आसीन्द) 1/2 का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, बाकि खाता बदस्तुर रहैगा। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमद दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा कायम करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 14.01.2017 को केम्प आसीन्द पर लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

(बलवन्तसिंह लिग्री)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
आसीन्द (भीलवाडा)
लोक अदालत-2017

Scanned by CamScanner